राजस्थान सरकार

प्राविधिक शिक्षा मण्डल राजस्थान,

(पाठ्यचर्या विकास प्रकोष्ठ)
डब्ल्यू–6 रेजीडेन्सी रोड, जोधपुर

कमांक एफ4(161)प्राशिमं / पाविप्र / 2012 / दिनांक :

प्रधानाचार्य,
समस्त पॉलिटेक्निक महाविद्यालय,
राजकीय महिला पॉलिटेक्निक, अजमेर, बीकानेर।
द्वारा ई मेल।

विषयः– सेमेस्टर प्रणाली के अन्तर्गत चेक पाइन्ट 6.4.2 में आये विद्यार्थियों को अतिरिक्त अवसर प्रदान करने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश।

संदर्भ :– राज्य सरकार का पत्रांक प.12(9)त.शि. / 2005 जयपुर दिनांक 12.12.12.

राज्य सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र की अनुपालना में सेमेस्टर प्रणाली के अन्तर्गत चेक पाइन्ट 6.4.2 में आये विद्यार्थियों को अतिरिक्त अवसर प्रदान करने के सम्बन्ध में निम्नलिखित दिशा निर्देश प्रदान किये जाते हैं :–

1. मण्डल में सत्र 2006–07 में पंजीकृत सेमेस्टर प्रणाली के उन सभी विद्यार्थियों को अपने अनुर्तीण रहे विषयों को बाह्य छात्र के रूप में उर्तीण करने के लिए अतिरिक्त अनुकम्पा अवसर प्रदान किया जायेगा जिन विद्यार्थियों का मण्डल में नामांकन चेक पाईन्ट 6.4.2 के अन्तर्गत मई 2012 में निरस्त हुआ है।
2. अतिरिक्त अवसर के उपभोग हेतु विद्यार्थी अपने तृतीय एवं पंचम सेमेस्टर के अनुतीर्ण रहे विषयों की सैद्धान्तिक व प्रायोगिक परीक्षायें मण्डल द्वारा नवम्बर 2012 व प्रथम वर्ष एवं चतुर्थ व षष्ठम् सेमेस्टर के अनुत्तीर्ण रहे विषयों की सैद्धान्तिक व प्रायोगिक परीक्षाऐं मण्डल द्वारा मई 2013 में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में बाह्य छात्र के रूप में सम्मिलित होकर दे सकेगा।
3. इस व्यवस्था के द्वारा विद्यार्थी अपने प्रत्येक अनुत्तीर्ण हुए विषय के लिए अधिकतम एक अवसर प्राप्त कर सकेगा।
4 विद्यार्थियों के द्वारा पूर्व में अर्जित सेशनल अंक यथावत रहेंगे।
5. कोई भी विद्यार्थी नियमित विद्यार्थी के रूप में अपना पंजीकरण नहीं करवा सकेगा। केवल बाह्य विद्यार्थी इन अवसरों का उपभोग कर सकेंगे।
6. अतिरिक्त अवसर का उपभोग करने हेतु विद्यार्थी को परीक्षा फार्म के साथ प्रार्थना पत्र देना होगा जिसमें वह अनुर्तीण रहने के कारणों को स्पष्ट करेगा। संस्था प्रधान प्रत्येक प्रार्थना पत्र को अपनी टिपण्णी के साथ अग्रेषित करेगे। विद्यार्थी के प्रार्थना पत्र एंव प्रधानाचार्य की टिपण्णी के आधार पर विद्यार्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान करने के संबंध में निर्णय लिया जायेगा।
7. मण्डल द्वारा बिना कोई कारण बताये किसी भी विद्यार्थी का परीक्षा फार्म निरस्त किया जा सकता है।
8. विद्यार्थी मण्डल द्वारा नवम्बर 2012 (3 व 5 सेमेस्टर) व मई 2013 (प्रथम वर्ष एवं 4 व 6 सेमेस्टर) में आयोजित की जाने वाली मुख्य परीक्षाओं के अतिरिक्त किसी भी अन्य परीक्षा में बैठने के योग्य नहीं होगा।
9. अन्य नियम यथावत रहेंगे।

सभी विद्यार्थियों को तदनुसार सूचित करें।

भवदीय

ह0

संयुक्त निदेशक एवं सचिव

कमांक एफ 4(161)प्राशिमं / पाविप्र / 2012 / 8001 दिनांक : 17 DEC 2012

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. संयुक्त सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निदेशक, तकनीकी शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर।
3. संयुक्त निदेशक (रजिस्ट्रार,), प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर।
4. संयुक्त निदेशक (गोपनीय), प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर।
5. विभागाध्यक्ष, प्रभारी (गोपनीय), प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर।
6. प्रभारी (कम्प्यूटर शाखा), प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर।
7. ईमेल– समस्त पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, द्वारा श्री पुखराज पालीवाल।
8. नोडल अधिकारी, को मण्डल की वेबसाईट पर अपलोड करवाना सुनिश्चित करवाने हेतु।

संयुक्त निदेशक एवं सचिव

C:\CDC\Files CDC\F 4 (161) Student Demand.doc